

ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा, पति की मौत घायल पत्नी की स्थिति गंभीर, चिकित्सक ने पटना किया रेफर, ट्रैक्टर जल्त कर पुलिस कर रही कार्रवाई

जागरण टीम, औरंगाबाद/नबीनगर : नबीनगर थाना क्षेत्र में नेनुआ गांव के पास बुधवार की सुबह 11.30 बाजे तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रैक्टर ने बाइक सवार दंपती को रौंदा दिया। पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल पत्नी को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। मृतक की पहचान झारखंड के पलामू के हुसैनबाद थाना क्षेत्र के नावाडीह गांव निवासी 53 वर्षीय विठ्ठलनाथ साव तथा घायल पत्नी 50 वर्षीय सुनैना देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि विश्वनाथ साव अपने एक रिश्तेदार के घर शोक संवेदना प्रकट करने पत्नी के साथ बाइक से टंडबा थाना क्षेत्र के खडगुरी गांव जा रहे थे। नबीनगर से कोईरीडीह गांव को जोड़ने वाली पथ में नेनुआ गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ओवरटेक करने के दौरान बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दंपती सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों को मृतक से दोनो

इलाज के दौरान गई जान

- नबीनगर-कोईरीडीह पथ में नेनुआ गांव के पास हुई दुर्घटना
- घटना के संबंध में आवेदन मिलने पर की जाएगी प्राथमिकी

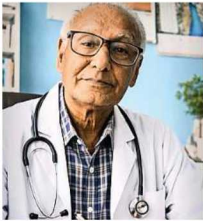
घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नबीनगर पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही नबीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकंटानाग्रस्ट ट्रैक्टर को जब्त कर ली। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़ फरार हो गया। स्वजन विश्वनाथ साव को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। नगर थाने की पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक पूछताछ के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया और स्वजन को सौंप दिया। घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। थानाध्यक्ष मुरल्युज कुमार उपाध्याय ने बताया कि ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। चालक की गिरफ्तारी को पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना के संबंध में आवेदन मिलने पर प्राथमिकी की जाएगी।

गंभीर रूप से घायल महिला की इलाज के दौरान मौत

संसू, जागरण ● उपहारा गोह (औरंगाबाद) : गयाजी-दाउदनगर पथ एनएच-120 पर बुधवार की दोपहर तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को टक्कर मार दी। टक्कर में हसपुरा थाना क्षेत्र के बिहटा गांव निवासी रामवती देवी घायल हो गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोह में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज को मांग भेडिकल कालेज गयाजी रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि महिला सड़क के किनारे से पैदल घर जा रही थी। इस दौरान अनियंत्रित हाइवा ने टक्कर मार दी। घटना के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कामगजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल औरंगाबाद भेज दिया। महिला की मौत से गांव में मातम छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि वाहन की तेज रफ्तार ग्रामीणों की जान ले रही है। रफ्तार पर रोक जरूरी है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार ने बताया कि स्थान से आवेदन मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

गोह-गयाजी पथ पर वाहन ने बाइक में मारी टक्कर, चिकित्सक की मौत

संसू, जागरण ● हसपुरा (औरंगाबाद) : हसपुरा थाना क्षेत्र के दाउदनगर-गोह-गयाजी पथ में मौआरी गांव के पास मंगलवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार चिकित्सक डा. ललन प्रसाद शर्मा को टक्कर मार दी। चिकित्सक गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें पटना ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र 73 वर्ष थी। कोरोना काल में ग्रामीणों का मुफ्त इलाज करते थे, जिस कारण इलाके में लोकप्रिय थे। भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि वे कोइलावां बाजार में बंते चार दशक से ग्रामीणों का इलाज करते थे। पहले उनकी फीस 50 रुपये थी। अब 100 रुपये लेते थे परंतु जो ग्रामीण फीस नहीं भी देते थे उनका वो इलाज करते थे। वे दाउदनगर एवं हसपुरा के अस्पताल में चिकित्सा प्रेमारी रहे थे। चिकित्सक को मौत से आक्रोशित



चिकित्सक डा. ललन प्रसाद शर्मा ● सौजन्य : स्वजन

ग्रामीणों ने पिकअप को खदेड़कर पचरखिया बाजार में पकड़ लिया। वाहन को पुलिस के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वे 73 वर्ष के उम्र में भी प्रतिदिन बाइक से अपने गांव मौआरी से कोइलावां बाजार स्थित क्लिनिक पर प्रतिदिन जाते थे। ग्रामीणों ने बताया कि 1985 से कोइलावां में गरीबों का निशुल्क इलाज कर रहे थे।

सात घंटे तक हंगामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

संसू, जागरण ● दाउदनगर (औरंगाबाद) : दाउदनगर थाना क्षेत्र के भुइयां बिगाह गांव के पास मंगलवार की देर शाम अपराधियों ने केसराड़ी गांव निवासी 52 वर्षीय किसान कुंदन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर एनएच-139 पर तिवारी मुहल्ले के पास औरंगाबाद-पटना मुख्य पथ जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मंगलवार की रात पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझ-बुझकर सड़क जाम को आंशिक रूप से समाप्त कराया।

हालांकि, आक्रोशित ग्रामीण इस बात पर अड़े रहे कि जब तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक शव को पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाने दिया जाएगा। इस स्थिति का सामना करने के लिए दाउदनगर एसडीपीओ अशोक कुमार दास, पुलिस इस्पेक्टर जितेंद्र कुमार और थानाध्यक्ष विकास कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्व मुखिया कुणाल प्रताप, मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र सिंह और पूर्व मुखिया प्रतिनिधि धर्मेन्द्र कुमार सिंह सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों से गहन वार्ता की।

टीचर ट्रेनिंग कालेज के पास दीवार तोड़कर घुसा ट्रक



दुर्घटनाग्रस्त ट्रक ● जागरण

संसू, जागरण ● दाउदनगर (औरंगाबाद) : दाउदनगर गयाजी पथ पर टीचर ट्रेनिंग कालेज के पास मंगलवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित मकान और दुकान में जा चुका। रात करीब ढाई बजे हुए इस हादसे में दुकान और घर के अगले हिस्से को भारी क्षति पहुंची है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क किनारे लगे बिजली के तीन पोल टूटकर गिर गए, जिससे पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। देर रात अचानक हुई इस तेज आवाज के बाद आसपास के ग्रामीणों और दुकानदारों में अफरातफरी मच गई। सुबह होते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसा देर रात होने के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई, क्योंकि उस वक्त दुकानें बंद थीं और

आरबीआइ के प्रशिक्षण में कटे-फटे नोट बदलने की दी गई जानकारी

जासं, औरंगाबाद : आरबीआइ पटना कार्यालय द्वारा शहर के महाराजगंज स्टेट स्थित एलडीएम कार्यालय में बुधवार को जिले में कार्यरत बैंककर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम में कटे-फटे और गंदे नोट बदलने की प्रक्रिया, नोटों की सुरक्षा, विशेषताओं तथा असली-नकली नोटों की पहचान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

ग्राहकों की सुविधा के लिए रमेश चौक स्थित एसबीआइ, पीएनबी और एचडीएफसी बैंक शाखाओं में 19 एवं 20 मई 2026 को नोट एवं सिक्का विनिमय मेले का आयोजन किया गया। मेले में लोगों को गंदे एवं कटे-फटे नोट तथा सिक्के बदलने की सुविधा दी गई और जागरूकता कार्ड भी वितरित किए। बताया गया कि बैंकों में लगे नोट और सिक्का विनिमय मेले में बिना खाते के भी हर बैंक शाखा में गंदे और कटे-फटे नोट बदले जाने की जानकारी दी गई। इसके साथ, बैंककर्मियों को नकली नोट पहचानने और सुरक्षा फीचर्स की प्रशिक्षण दी गई।

बसपा नेता के चारदीवारी से ट्रैक्टर हुई चोरी



सीसीटीवी में कैद हुई घटना ● सौजन्य : स्वजन

संसू, जागरण ● देव (औरंगाबाद) : विधानसभा चुनाव 2025 में औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शशंत मिश्रा के चारदीवारी से चोरों ने मंगलवार की रात एक नया ट्रैक्टर चुरा लिया। चोरी गया ट्रैक्टर स्वराज कंपनी का था, जिसे किसानों को खेत जोतने के लिए खरीदा गया था। शशंत मिश्रा ने चुनाव के दौरान प्रत्येक पंचायत में दो ट्रैक्टर देने की घोषणा की थी और इस वर्ष 50 ट्रैक्टर लेने का लक्ष्य रखा था। 700 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से किसानों के खेतों की जुताई की जानी थी। 15 दिन पहले मंगल एग दो ट्रैक्टरों में से एक चोरी हो गया। शशंत मिश्रा के पिता, मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि किसानों को खेत जोतवाने में कठिनाई होती थी, इसलिए ट्रैक्टर खरीदा गया था। ट्रैक्टर चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर की तस्वीर स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। चोर चोरी किए गए ट्रैक्टर को सिलाड़ गांव के रास्ते ले गए हैं। ट्रैक्टर सूदी बिगाह गांव निवासी मितन सिंह के नाम पर था। चोरों ने अपने चेहरे को ढक रखा था। देव थानाध्यक्ष ने बताया कि ट्रैक्टर चोरी की सूचना मिली है। पुलिस चोर की पहचान करने में जुटी है।

वाइक से 130 लीटर शराब जब्त, तस्कर हुआ फरार

संसू, जागरण ● मदनपुर (औरंगाबाद) : सलैया थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर मंगलवार को बाइक से 130 लीटर महुआ शराब जब्त की है। थानाध्यक्ष कन्हैया शर्मा ने बताया कि सूचना पर त्वरित कार्रवाई हुए थाना क्षेत्र के कर्मडीह मोड़ के पास से दो प्लास्टिक के बोरे में पांच-पांच लीटर के कुल 26 थैली से 130 लीटर महुआ शराब मिली। बाइक बीआर 02बीजी-3679 को जब्त कर थाना लाया गया है। पुलिस को देखते ही बाइक पर शराब लेकर जा रहे तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। थानाध्यक्ष ने बताया कि बाइक मालिक की पहचान को लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है।

ओबरा में सड़क से 26 मई को हटाया जाएगा अतिक्रमण

संसू, जागरण ● ओबरा (औरंगाबाद) : औरंगाबाद-पटना पथ राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ओबरा देवी मंदिर से श्रीकृष्ण सिंह स्मृति भवन तक लगे अतिक्रमण को हटाने का आदेश अंचलाधिकारी हरिहरनाथ पाठक द्वारा जारी किया गया है। दुकानदारों को अपनी दुकानें हटाने के लिए कहा गया है। सीओ ने बताया कि 26 मई को सड़क से अतिक्रमण हटाया जाएगा और सड़क पर दुकान लगाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। देवी मंदिर से लेकर श्री कृष्ण सिंह स्मृति भवन तक अस्थाई अतिक्रमण किया गया है, जिससे सड़क जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। 25 मई तक दुकानदारों को अपनी दुकानें हटाने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा 26 मई को दुकानों को तोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष बने समरेश

संसू, जागरण नबीनगर (औरंगाबाद) : नगर पंचायत के बसन बिगाह मोड़ स्थित राक्षसगंज उत्सव गार्डन में बुधवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी की बैठक आयोजित कर प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव संपन्न किया गया। चुनाव प्रक्रिया पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सह औरंगाबाद जिला पर्यवेक्षक सुभाष सिंह चंद्रवंशी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी जैनेंद्र सिंह कुशवाहा तथा प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी नीतीश कुमार की देखरेख में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। बैठक में उपस्थित नेताओं को कार्यकर्ताओं के द्वारा सर्वसम्मति से समरेश कुमार उर्फ पप्पू पाण्डेय को निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुना गया। उनके अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा होते ही उपस्थित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। संगठन को गांवों तक मजबूत करने का संकल्प लिया। प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो भरोसा जताया है, उस पर वे पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ खरा उतारने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत बनाकर पार्टी की नीतियों एवं जर्नलिस्ट के मुर्खों को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा। मौके पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक मेहता, सुरेश सोनी, संतोष मिश्रा, मिथलेश कुशवाहा, सत्येंद्र चंद्रवंशी, राजेंद्र यादव, दिलीप मेहता, सुनील कुमार सिंह, भरत तिवारी मौजूद रहे। कराई जा रही है।

FORM NO. 13
[See Regulation (13)(1)(a)]
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services
Debts Recovery Tribunal
2nd Floor, Karpuri Thokur Sadan,
Rajiv Nagar, Patna- 25
O.A. No. 973 of 2025
Exh.
Applicant(s)(s)..... ICICI Bank Limited
Vs.
Defendants(s)(s)..... Ritesh Kumar Verma
To,
1. Ritesh Kumar Verma
(Borrower), S/o- Lt. Sonalal Verma
(R/o)- Nalband Tal, Ward No. 26,
New Satyadev Mill, Buxar, Bihar-
802101.

SUMMONS
1. WHEREAS, OA 973/2025 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on 12.01.2026.
2. WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said Application under section 19(4) of the Act (OA) filed against you for recovery of Rs. 61,23,011.58/- (Rupees Sixty-One Lakh Twenty Three Thousand Eleven and Fifty Eight Paise Only).
3. WHEREAS the service of summons/notice could not be effected in the ordinary manner and whereas the Application for substitute service has been allowed by this Tribunal.
4. In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under (i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted.
(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application.
(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties.
(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/ or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of this Tribunal.
(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.
5. You are also directed to file a written statement within 30 days of publication of this summons, with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on 25.06.2026 at 10:30 AM failing which the application shall be heard and decided in your absence. Given under my hand and the seal of this Tribunal on 27-04-2026.

Registrar,
Debt Recovery Tribunal

पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की गई जान, साँपी सरकारी मुआवजे की राशि

संसू, जागरण ● दाउदनगर (औरंगाबाद) : दाउदनगर-गोह-गयाजी पथ एनएच-120 पर मरनेजपुर-कटरिया गेट के पास बुधवार की सुबह तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार कुंदन महतो उर्फ साधु को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल कुंदन की इलाज के दौरान मौत हो गई। अंछा पंचायत के ठाकुर बिगाह गांव निवासी जनेश्वर मेहता के 33 वर्षीय पुत्र कुंदन की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजा की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। दाउदनगर के शहीद प्रमोद सिंह चौक पर शव रख नारेबाजी करने लगे। करीब एक घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। तेज धूप व उमस भरी गर्मी के कारण वाहन चालक एवं यात्री परेशान रहे। जानकारी के अनुसार, कुंदन महतो अपनी पत्नी के साथ गोह प्रखंड के बहुरिया वार्मा स्थित असुराल से बाइक द्वारा वापस अपने घर लौट रहे थे। सुबह करीब छह बजे मरनेजपुर कटरिया के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना के

● औरंगाबाद-पटना पथ जाम कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन



घटनास्थल पर जाम हटवाते सीओ व अपर थानाध्यक्ष ● जागरण

बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों ने तत्परा और मानवता दिखाते हुए कुंदन को तुरंत निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर दिया। घायल का इलाज करने अनुमंडल अस्पताल पहुंचे स्वजन ने बताया कि इलाज के अभाव में कुंदन की मौत हुई है। सूचना पर अपर

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके बाद सीओ शैलेंद्र कुमार यादव, वाई पार्षद चंद्र मिश्रा पहुंचकर लोगों को समझाकर जाम हटवाया। मृतक के स्वजन को तत्काल चार लाख रुपये का सकारी मुआवजे का चेक सौंपा गया।

वाई सदस्यों को अनुरक्षक राशि और मानदेय न मिलने से आक्रोश

संसू, जागरण ● उपहारा गोह (औरंगाबाद) : गोह प्रखंड के हसामपुर पंचायत के उड्डमखिया और पांच वाई सदस्यों को डेढ़ साल से अनुरक्षक की राशि नहीं मिली है। राशि न मिलने से वे सभी आक्रोशित हैं। इसके साथ, उन्हें मानदेय भी नहीं मिला है। वाई सदस्य रामराज पांडेय ने बताया कि हसामपुर पंचायत में 14 वाई हैं। आठ वाई सदस्यों को अनुरक्षक की राशि विभाग ने आवंटित किया है। विभाग के द्वारा छह सदस्यों को राशि नहीं दी गई है। इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उपमुखिया सुधीर सिंह, वाई सदस्य सुरेश दास, वीरेंद्र दास एवं अन्य सदस्यों ने सरकार से शीघ्र अनुरक्षक की राशि भुगतान करने की मांग की है। बुधवार को सदस्यों ने प्रखंड कार्यालय के पास शिकायत पत्र लेकर भ्रष्टाचार का विरोध किया है। आरोप लगा रहे हैं कि मुखिया और अधिकारी की मिलीभगत है। उपर, प्रखंड पंचायत पर पदाधिकारी प्रियंका कुमारी ने बताया कि अनुरक्षक की राशि सीमित थी। आठ वाई सदस्यों को भुगतान किया गया है। जिन्हें राशि नहीं मिली है उन्हें कार्यालय आने पर दी जाएगी।

सड़क पर यात्री वाहनों के ठहराव पर होगी कार्रवाई, जाम की समस्या पर हुई चर्चा

जासं, औरंगाबाद : शहरी क्षेत्र के रामाबांध बस स्टैंड, ओवरब्रिज बसपार्क और अन्य स्थानों पर जाम की समस्या से निजात पाने के लिए बुधवार को डीटीओ सुनंदा कुमारी और एमबीआइ सुजीता कुमारी ने बस मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में रामाबांध बस स्टैंड और ओवरब्रिज के पास लगने वाले जाम की समस्या पर चर्चा की गई। डीटीओ ने स्पष्ट किया कि अब से बसों का परिचालन केवल रामाबांध बस स्टैंड से ही किया जाएगा। सड़क पर सवारी चढ़ाने और उतारने पर पूरी तरह से रोक होगी।

डीटीओ ने बस मालिकों को निर्देशित किया कि ओवरब्रिज के पास और एनएच-139 पर बसें खड़ी नहीं होनी चाहिए। यदि इस आदेश का उल्लंघन किया गया, तो बसें के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीटीओ ने बताया कि उन्होंने मंगलवार रात जसोइया से हसीली वाहन अंडर पास होते हुए ओवरब्रिज और रामाबांध बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि लंबे समय

● बस स्टैंड से ही होगा बसों का परिचालन, दिए दिशा-निर्देश



बस मालिकों के साथ बैठक करती डीटीओ सुनंदा कुमारी और एमबीआइ सुजीता कुमारी ● जागरण

से बस स्टैंड में बेकार बसें खड़ी हैं, जिन्हें हटाने का आदेश दिया गया है। यातायात व्यवस्था को सुधराने के लिए यह सभी कदम उठाए जा रहे हैं। जाम की समस्या को लेकर जिला प्रशासन का रवैया सख्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रामाबांध बस स्टैंड के पास सड़क पर किसी भी परिस्थिति में बसें खड़ी नहीं होंगी।

बस मालिकों ने भी अपनी समस्याएं साझा कीं। उन्होंने प्रशासन द्वारा लगाए गए लोहे के ओवरहेड बैरियर को हटाने की मांग की। साथ

● सड़क पर सवारी चढ़ाने-उतारने पर लगाया रोक, रखी मांगें

ही, उन्होंने कहा कि बस स्टैंड से यात्रियों को बैठाने में कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते देव, अंबा, ओबरा, मदनपुर लोकर अन्य प्रखंडों तक यात्रों को समेत परिवहन करने वाले टैप्पो पर रोक लगाई जाए। बस मालिकों ने बताया कि शहरी क्षेत्र के बाहर ऐसे टैप्पो के परिचालन से उन्हें यात्री नहीं मिल पाते हैं। इस पर डीटीओ ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में उमाशंकर सिंह, टिट्कु सिंह, सुनिल सिंह, राजेश सिंह समेत अन्य बस मालिक उपस्थित रहे।

अंबा बाजार में जल निकासी की समस्या बरकरार

संसू, जागरण ● अंबा (औरंगाबाद) : राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाली की सफाई न होने के कारण अंबा बाजार के ग्रामीणों में नाराजगी उत्पन्न हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा की जा रही सफाई केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है, जिससे जल निकासी की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता।

मंगलवार को जब विभाग ने एनएच-139 सड़क किनारे नाली उड़ानी का कार्य तीसरी बार शुरू किया, तो स्थानीय नागरिकों का सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कार्य का विरोध किया। यह कार्य कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद के नेतृत्व में किया जा रहा है।

ग्रामीणों में नाराजगी

- ग्रामीण कह रहे इस तरह की अथूरी सफाई का कोई औचित्य नहीं
- हाइवे किनारे की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना स्थानीय प्रशासन का कार्य

मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कहा कि जब तक पानी के बहाव का मुख्य तबता दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की अथूरी सफाई का कोई औचित्य नहीं है। जल निकासी की इस लचर व्यवस्था के कारण पूरा इलाका नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर है।

दुकानदार द्वारा छोड़े गए मलबे से

होती है जाम : ग्रामीणों का यह भी कहना है कि दुकानदार अपनी दुकान का मलबा नाली में डालते हैं। अंबा बाजार के दुकानदार अक्सर कचरे को एनएच-139 किनारे बनी नाली में डाल देते हैं, जिससे नाली हर छह महीने को जाम हो जाती है। इस परंपरा को समाप्त करने के लिए जब कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि हाइवे किनारे की दुकानों पर प्रतिबंध लगाना स्थानीय प्रशासन का कार्य है। इस स्थिति को सुधारने के लिए ड्रेस कस्म उठाने की आवश्यकता है, ताकि ग्रामीणों को जल निकासी की समस्या से राहत मिल सके।

संरक्षक अधिकारियों के नियम 9 (1) के तहत वैधानिक विक्री सूचना (विवाद की स्थिति में अंतिम पाठ प्रत्यक्ष होगा) प्राधिकृत अधिकारी